भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 853

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

निर्यात संवर्धन मिशन

853 श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में विशेषकर तिरुपति जिले की कोई एमएसएमई इकाई इस मिशन के तहत सहायता हेतु चिह्नित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना में शामिल करने हेतु कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या तिरुपति स्थित एमएसएमई इकाइयों को निर्यात क्रेडिट, सीमापार फैक्टोरिंग अथवा विदेशी बाजारों में गैर-शुल्कीय बाधाओं से निपटने में सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तिरुपति जैसे टियर-2 और एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों से एमएसएमई के लिए समान पुहंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित, निर्यात संवर्धन मिशन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है ताकि निर्यात ऋण तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करके, सीमा पार फैक्टरिंग को सक्षम करके और वैश्विक बाजारों में गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने में एमएसएमई की सहायता करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। वाणिज्य विभाग मिशन का अग्रणी विभाग है।

मंत्रालय की प्राथमिक भूमिका है कि मिशन के प्रमुख उद्देश्यों अर्थात निर्यात ऋण तक पहुंच में सुधार, सीमा पार फैक्टरिंग को सक्षम बनाना और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए में सहायता प्रदान करना, को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए मिशन को देश भर में कार्यान्वित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अन्य पहलें भी की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के समर्थित एमएसएमई का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	जारी की गई राशि (रुपए में)	समर्थित एमएसएमई की संख्या
2023-24	9,31,127	5
2024-25	6,76,026	2

II. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने निर्यात का विस्तार करने में एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों की सहायता के लिए ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों (ईसीईएच) की स्थापना की योजना बना रहा है। इन केंद्रों का उद्देश्य सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात के लिए त्वरित निकासी और सरलीकृत रिटर्न प्रबंधन सहित संपूर्ण सहायता प्रदान करके नियामक और रसद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
